न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आर.ए.एस

अपील सख्या 2013/00135 (20/2013) 223 आरटीएक्ट

1. जगमालराम
2. बनवारीलाल } पिसरान हजारी राम
3. रामेश्वरलाल
4. नारामणी देवी पत्नी हजारीराम

जाति स्वामी साकिन बसीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

5. बादू देवी
6. गुडडी देवी } पुत्रियां स्व0 हजारी राम
7. विमला देवी
8. सीमा देवी

——अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर
2. हस्तीराम पुत्र खेताराम (फौत)
   - 2/1 देवीलाल
   - 2/2 बृजलाल } पुत्रगण हस्तीराम जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील
   - 2/3 चन्दूराम } रावतसर जिला हनुमानगढ।
   - 2/4 परमेश्वरी पुत्री हस्तीराम पत्नी बलराम जाति जाट साकिन न्योलखी
   - 2/5 उमा पुत्री हस्तीराम पत्नी शिशपाल जाति जाट साकिन न्योलखी।
3. देवीलाल पुत्र हस्तीराम जाति जाट साकिन भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

--रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय 26.11.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतसर प्रकरण संख्या 1/2012

उपस्थितिः—

श्री इन्द्राज गोदारा अधीवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2/4 व 3

राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय दिनांक :– 29.05.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष एक आवेदन पत्र 144 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में आवंटन अधिकारी का आवंटन आदेश दिनांक 8.8.88 अंतिम रूप से निरस्त हो जाने से रिकार्ड में इससे पूर्व की स्थिति दर्ज किये जाने और आवंटन आदेश दिनांक 26.08.1982 का रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का अनुतोष चाहा जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से अस्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 2 केडीएम की 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि 26.08.1982 को हजारीराम को आवंटित हुई थी। हजारीराम ने 2 किश्तें भरी और बाकी किश्तें भरने के अभाव में आवंटन खारिज हो गया है। अपीलांट हजारीराम के वारिसान हैं। आवंटन खारिज होने पर हस्तीराम एवं देवीलाल जो कि रेस्पोडेण्ट है उनको दिनांक 08.08.1988 को भूमि आवंटित हो गई। इस आवंटन के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की जिसमें हस्तीराम एवं देवीलाल को किया गया। आवंटन निरस्त कर रकबा पूर्व की स्थिति में दर्ज करने का आदेश दिया गया। यह आदेश दिनांक 23.10.1998 को पारित किया गया था। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गई जो 22.03.2002 को खारिज हुई जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश की जो भी दिनांक 25.05.2012 को खारिज हो गई। अतः धारा 144 सीपीसी के तहत यह प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायलाय में पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय में डबल बैंच में स्पेशल अपील का हवाला देते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। जबकि डबल बैंच में कोई स्थगन नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर भूमि को वापिस हजारीराम के वारिसान केनाम दर्ज किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में अन्तिम निस्तारण नहीं हुआ है। माननीय राजस्व मण्डल में वर्तमान में दो डीबी सिविल रिव्यू पिटीशन नं. 43/2013 व 33/2013 पेश की गई थी। जो अभी लम्बित है। जिसकी प्रति जरिये प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पत्रावली में पेश की गई है। इस तरह नियमानुसार प्रकरण का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि का कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

रेस्पोडेण्ट के पास है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 504 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि होने के कारण उन्हें के कारण एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दस्तावज को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. जहां तक गुणवगुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत चक 2 केडीएम की 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनांक 26.08.1982 को हजारीराम को आवंटित हुई थी जिसकी किश्ते जमा नही करवाने पर उक्त भूमि को दिनांक 08.08.1988 को हस्ताराम पुत्र खेताराम व देवीलाल पुत्र हस्ताराम व अन्यों को अलॉट कर दी गई। 08.08.1988 के आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील होने पर इस आदेश को खारिज कर दिया गया। इसके बाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत हुई जो खारिज हो गई। राजस्व मण्डल अेजमेर के निर्णय के विरूद्ध रिविजन पेश की गई जो दिनांक 22.07.2002 को निरस्त कर दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबीसी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 5152/2012 प्रस्तुत की गई। जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2012 के द्वारा रिट खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध भी देवीलाल आदि ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में के समक्ष डीबी में स्पेशल अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। इस प्रकार राजस्व अपील अधिकारी का आदेश अंतिम रूप से हो गया है। प्रकरण में देवीलाल व हस्ताराम को जो पुनः आवंटन किया गया था उसे इस आधार पर खारिज किया गया है कि उनके द्वारा एकल भूमि को दो टुकड़ों में विभाजित कर समॉलपेच के रूप में आवंटन के कारण उनके आवंटन को खारिज किया गया है। यह आदेश उच्च न्यायालय तक अपरिवर्तित है। इस आदेश में अपीलाण्ट के पक्ष में पुनः राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में कोई आदेश नही दिया गया हैं मात्र रेस्पोडेण्ट के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके पिता के हक में आवंटन दिनांक 26.08.82 को रिकार्ड में अमलदरामद करने का अनुतोष चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 144 सीपीसी का प्रावधान भूमि आवंटन के प्रकरण में लागू नही होने का हवाला देते हुए खारिज किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलार्थीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वह अनुतोष भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके पिता के हक में किये गये 1982 के आवंटन का पुनः अमलदरामद करने का अनुतोष चाहा है जो नहीं दिया जा सकता। हस्तीराम एवं देवीलाल को किये गये आवंटन आदेश को ही राजस्व अपीला अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.10.1998 द्वारा निरस्त किया गया था। उक्त निर्णय अपीलार्थीगण के पूर्वज हजारी के पक्ष में पुनः अंकन करने का कोई आदेश नहीं है। इस तरह अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 144 सीपीसी के तहत चाहा गया अनुतोष देय नहीं है। हालांकि संबंधित तहसीलदार निर्णय की पालना में उचित कार्यवाही कर निर्णय अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोष उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष में देय नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यो से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण इस प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.11.2012 यथावत् रखे जातें हैं। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29/5/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official